Returning Officer 76-Badshahpur Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Badshahpur.

रिटर्निंग अधिकारी 76–बादशाहपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), बादशाहपुर.

प्रेषितः–

श्री वर्धन यादव
उम्मीदवार, इंडियन नेशनल कांग्रेस।

क्रमांकः निर्वाचन/2024/1842 दिनांकः 23-10-2024

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक निर्वाचन/2024/1867 दिनांक 18–10–2024 की निरंतरता में आपकी जानकारी के लिए ईवीएम संबंधित सारी प्रक्रिया को संक्षिप्त रूप में इस पत्र के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है।

आयोग ने अपने विशिष्ट अनुशंसाओं में कहा है कि सुरक्षा उपायों के साथ तकनीकी सुरक्षा विशेषताएँ और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पूरी तरह से हेरफेर से मुक्त होनी चाहिए। आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की हैंडलिंग के हर पहलू के लिए चेक लिस्ट तैयार की है, जिसमें मशीनों के रखरखाव से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के संचालन तक शामिल हैं। इसके अलावा चुनाव के विभिन्न चरणों में किसी भी संभावनाओं के निराकरण के संबंध में निर्देश दिए गए हैं।

चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को संभालने के लिए सुरक्षा उपायों और प्रबंधन प्रणालियों का एक विस्तृत और कठोर ढांचा तैयार किया है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोकना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का संचालन करने से पहले, उनकी सही हैंडलिंग और रखरखाव के लिए सभी आवश्यक सावधानियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ताकि हेर–फेर या जोड़–तोड़ से बचा जा सकें। आयोग ने सुरक्षा उपायों को प्रत्येक चरण पर लागू किया है। यह सभी प्रक्रियाएँ आयोग के निरीक्षण और प्रबंधन में देखी जाती हैं, ताकि मशीनों की क्षमता और विश्वसनीयता की जांच की जा सके। इन सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि मशीनों की सही हैंडलिंग की जाए और उन्हें निर्दिष्ट स्थानों पर सुरक्षित रखा जाए। इस विषय पर अधिक जानकारी नीचे दी गई है।

Scanned with CamScanner

1. प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी)

1.1 आयोग के पत्र संख्या 51/8/16/9/2017–ईएमएस (पीएंडएल) दिनांक 09–11–2017 के व इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मैनुअल (अगस्त, 2023) के अनुसार राज्य में प्रत्येक चुनाव से लगभग 180 दिन पहले, ईवीएम के दोनों यूनिट के और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) की जाती है। एफएलसी का उद्देश्य चुनावों में उपयोग की जाने वाली ईवीएम और वीवीपैट की कार्यक्षमता और उपयुक्तता सुनिश्चित करना है। यह प्रक्रिया जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) की निगरानी में पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से होती है, जिसमें मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रमाणित कंपनी के इंजीनियरों द्वारा जांच की जाती है। डीईओ द्वारा एफएलसी का कार्यक्रम शुरू होने से कम से कम 2 दिन पहले, जिला स्तर पर प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के साथ उचित प्रक्रिया के तहत लिखित रूम में साझा किया जाता है। यह सूचना राजनैतिक दलों के राज्य मुख्यालयों को भी भेजी जाती है। राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों को एफएलसी में उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है। अगर वे एफएलसी में भाग लेने में असफल रहते हैं, तो उन्हें पुनः स्मरण पत्र भेजा जाता है। एफएलसी में भाग लेने वाले राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए एक रजिस्टर भी रखा जाता है। इसकी जानकारी **Annexure-1** पर उपलब्ध है।

1.2 प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) में प्रत्येक बैलट यूनिट (बीयू), कंट्रोल यूनिट (सीयू), और वीवीपैट का एक व्यापक परीक्षण शामिल होता है, जिसे मशीनों की पूर्ण कार्यक्षमता की जांच करने के लिए निर्धारित किया गया है। जांच के बाद, प्रमाणित इंजीनियर यह प्रमाणपत्र जारी करते हैं कि ईवीएम के सभी घटक वास्तविक हैं।

Scanned with CamScanner

1.3 एफएलसी बीईएल/ईसीआईएल द्वारा निर्धारित विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, 24 घंटे पूरी सुरक्षा के साथ सशस्त्र पुलिस बलों की उपस्थिति में, एक बड़े हॉल में 24×7 सीसीटीवी कवरेज के तहत की जाती है, जहां प्रत्येक प्रवेश और निकास द्वार पर परिसर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की उचित रिकॉर्डिंग के लिए लॉग बुक रखी जाती है। पूरी एफएलसी प्रक्रिया का निरीक्षण डीईओ और सीईओ स्तर पर कंट्रोल रूम में वेबकास्टिंग के माध्यम से किया जाता है और इसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग को प्रस्तुत की जाती है।

1.4 एफएलसी के प्रत्येक चरण में राजनैतिक दलों को उनकी पूरी संतुष्टि के लिए सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है। उन्हें किसी भी मशीन का चयन करने और मॉक पोल करने की अनुमति भी दी जाती है।

1.5 एफएलसी के बाद, कन्ट्रोल यूनिट (सी0यू0) को गुलाबी पेपर सील से सील कर दिया जाता है। और राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि भी इस पेपर सील पर हस्ताक्षर करते हैं। एफएलसी के बाद FLC OK Units की एक सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को दी जाती है।

1.6 मेरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 76—बादशाहपुर में एफ.एल.सी., जिला मुख्यालय मे 01.08.2024 से 16.08.2024 तक संचालित किया गया था। निम्नलिखित राजनीतिक दलो के प्रतिनिधियों ने एफ.एल.सी. मे भाग लिया था।

– श्री श्यामलाल (आम आदमी पार्टी)

– श्री मनीष गौड. (इडियन नेशनल कांग्रेस)

– श्री ऋषि राज राणा (जननायक जनता पार्टी)

– श्री याद राम जोया (भारतीय जनता पार्टी)

Scanned with CamScanner

2. एफएलसी के बाद की व्यवस्था।

2.1 आयोग ने "एफएलसी ओके ईवीएम" के भंडारण और उनकी चौबीसों घंटे सुरक्षा के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। इन स्ट्रांग रूम्स में 24×7 सुरक्षा बनाए रखने के लिए राज्य सशस्त्र पुलिस बल की कम से कम एक टुकड़ी तैनात की जाती है।

2.2 स्ट्रांग रूम्स और गलियारों के प्रवेश बिंदुओं पर 24 × 7 सीसीटीवी कवरेज के साथ डीवीआर की व्यवस्था होती है।

2.3 प्रवेश बिंदुओं पर तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा लॉग बुक रखी जाती है।

2.4 जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ), पुलिस अधीक्षक (एसपी), प्रेक्षक और राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि स्ट्रांग रूम्स निरीक्षण करते हैं। यह व्यवस्था तब तक जारी रहती है जब तक की चुनाव की तैयारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रथम रैंडमाइजेशन नही हो जाता। राजनितिक दलों को "एफएलसी—ओके ईवीएम" के भंडारण और उनकी सुरक्षा के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है।

2.5 गुरूग्राम जिले मे "एफएलसी—ओके ईवीएम" के लिए स्ट्रांग रूम कृषि ज्ञान केन्द्र मे स्थापित किए गए थे।

3. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का रैंडमाइजेशन।

3.1 स्ट्रांग रूम में रखी गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) को ईवीएम प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) के माध्यम से दो बार रैंडमाइज किया जाता है। यह एप्लिकेशन भारत निर्वाचन आयोग की आईटी टीम द्वारा विकसित किया गया है।

3.2 प्रथम रैंडमाइजेशन

- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के प्रथम रैंडमाइजेशन से पहले, अधिकतम 10 प्रतिशत मशीनों को प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम के लिए अलग रखा जाता है, और उन्हें " प्रशिक्षण

Scanned with CamScanner

और जागरूकता" के रूम में चिह्नित किया जाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रथम रैंडमाइजेशन के लिए राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को नियम प्रक्रिया के तहत कम से कम 48 घंटे पहले लिखित रूप में निमंत्रण भेजते हैं।

- डीईओ द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में रैंडमाइज रूप से मशीनें आवंटित करने के लिए, राजनितिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईएमएस के माध्यम से प्रथम रैंडमाइजेशन किया जाता है। इसकी जानकारी **Annexure-2** पर उपलब्ध है।
- गुरूग्राम जिला मे प्रथम रैंडमाइजेशन 02.09.2024 को आयोजित किया गया और मेरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 76–बादशाहपुर के लिए आवंटित मशीने 03.09.2024 द्वारा प्राप्त की गई थी।
- मेरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 76–बादशाहपुर के लिए आवंटित ई.वी.एम. राजकीय कन्या महाविद्यालय सैक्टर–14 गुरूग्राम पर पृथक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के स्ट्रांग रूम मे स्टोर किया गया था।
- रैंडमाइज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की सूची राजनैतिक दलों को दी जाती है, और उनसे लिखित रूप में पावती ली जाती है।

3.3 द्वितीय रैंडमाइजेशन

- उम्मीदवारों को अंतिम रूप से सूचीबद्ध करने के बाद, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ईएमएस के माध्यम से द्वितीय रैंडमाइजेशन किया जाता है।
- यह रैंडमाइजेशन उम्मीदवारों/चुनाव अधिकर्ताओं और आयोग के प्रेक्षकों, जो अन्य राज्यों के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होते हैं, की उपस्थिति में किया जाता है।
- उम्मीदवारों को द्वितीय रैंडमाइजेशन के कार्यक्रम की सूचना लिखित रूप में दी जाती है।

Scanned with CamScanner

- मैने राजनीतिक दलों और श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा, आई.ए.एस. (सामान्य प्रेक्षक) की उपस्थिति मे 24.09.2024 को ई.वी.एम. के द्वितीय रैंडमाइजेशन का संचालन किया इसकी जानकारी Annexure-3 पर उपलब्ध है।

4. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को चालू करना (कमिशनिंग):

4.1 उम्मीदवारों की नाम वापसी के बाद, रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों व वीवीपैट को चालू करने और उनमें उम्मीदवारों की संख्या व विवरण डालने की प्रक्रिया तैयार करते हैं।

4.2 सभी उम्मीदवारों को एक उचित पत्र के माध्यम से प्रक्रियां की सूचना दी जाती है, जिसमें उनसे मशीनों को चालू करने की प्रक्रिया में भाग लेने का अनुरोध किया जाता है।

4.3 उम्मीदवारों से मॉक पॉल प्रक्रिया में भाग लेने का अनुरोध किया जाता है।

4.4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मशीनों को चालू करने की प्रक्रिया पूरी सुरक्षा के साथ और 24×7 सीसीटीवी निगरानी में एक अलग हॉल में की जाती है।

4.5 चालू करने (कमिशनिंग) की प्रक्रिया का संचालन सहायक रिटर्निंग अधिकारियों (ए0आर0ओ0) और आ0ओ0 द्वारा बी0ई0एल0/ई0सी0आई0एल0 की तकनीकि टीम की सहायता से किया जाता है, जिसमें मौजूदा आर0ओ0 आयोग के प्रेक्षक और सभी उम्मीदवारों की उपस्थिति होती है।

4.6 वीवीपैट में लोड किए जा रहे प्रतीकों को प्रदर्शित करने के लिए सिंबल (प्रतीक) लोडिंग यूनिट (एस0एल0यू0) के लिए अलग से टी0वी0 मॉनिटर स्थापित किया जाता है ताकि उम्मीदवारो/चुनाव अभिकर्ता देख सके।

4.7 इस दौरान निरीक्षण कंपनी के इंजीनियर्स मशीन के प्रत्येक कल–पुर्जे की जांच करते हैं और रिटर्निंग अधिकारियों (आर0ओ0) को प्रमाण पत्र प्रदान करते है।

Scanned with CamScanner

4.8 पहले, बैलट यूनिट (बीयू) तैयार कर उसे सील किया जाता है, इसके बाद वीवीपीएटी यूनिट तैयार की जाती है। वीवीपैट एक नई बैटरी और नई पेपर रोल डाली जाती है। वीवीपीएटी यूनिट को सील करने के बाद, कंट्रोल यूनिट (सी0यू0) तैयार की जाती है और उसमें उम्मीदवारों की संख्या निर्धारित की जाती सी0यू0 में एक नई बैटरी डाली जाती है।

4.9 सभी तीन (3) यूनिट्स को तैयार करने के बाद और पूर्व में उपयोग की गई बैटरी को नई बैटरी से बदला जाता है, सी0यू0, बी0यू0, और वीवपीएटी के तारो को जोड़ा जाता है, और यह सुनिश्चित किया जाता है कि ईवीएम और वीवीपीएटी ठीक से काम कर रही हैं या नहीं, मॉक पॉल भी किया जाता है।

4.10 मेरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 76–बादशाहपुर के लिए आवंटित ई.वी.एम. की कमीशनिंग और भण्डारण 27.09.2024 से 01.10.2024 तक ऑडिटोरियम हॉल, राजकीय कन्या महाविद्यालय सैक्टर–14 गुरूग्राम में श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा, आई.ए.एस. (सामान्य प्रेक्षक), और इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, निर्दलीय के उम्मीदवारों/प्रतिनिधियों की उपस्थिति मे किया गया था। इसके दौरान 5% ई.वी.एम. पर मॉक पोल कराया गया। इसकी जानकारी **Annexure-4** पर उपलब्ध है।

5- **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रेषण (Dispersal):**

5.1 आयोग के निर्देशानुसार जब ई0वी0एम0 मशीनों का प्रेषण होता है तो उससे पहले रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उम्मीदवारों को उनके मतदान केन्द्रों की तिथि और समय की जानकारी लिखित रूम में दी जाती है।

5.2 रिटर्निंग अधिकारी की उपस्थिति में, आयोग के प्रेक्षक और उम्मीदवार/उनके एजेंट ई0वी0एम0 मशीनों के बैलट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट की जांच करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सही तरीके से सील बंद हैं और उनकी मुहरें (सीलें) और पैकिजिंग सुरक्षित है।

Scanned with CamScanner

5.3 उम्मीदवार सुरक्षा कर्मियों के साथ चुनाव दलो की रवानगी देखते है।

5.4 ई0वी0एम0 के परिवहन के लिए जी0पी0एस0 और मोबाइल आधारित रडार प्रणाली द्वारा निगरानी की जाती है, जो राज्य के सीईओ और जिला अधिकारियों के स्तर पर होती है। (कृपया अनुदेशो के सार संग्रह, 2024 (खण्ड–I) मे उपलब्ध आयोग के अनुदेश संख्या 51/8/आईएनएसटी/2019–ईएमपी, दिनांक 05–02–2019 में देखें)।

5.5 डीईओ सभी अभ्यर्थियों और पर्यवेक्षकों को संबंधित क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारियों की जानकारी के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के परिवहन के लिए सभी वाहनों के पंजीकरण नंबर और विवरण प्रदान करते हैं।

5.6 आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक इस मामले में आयोग के निर्देशों के सख्त अनुपालन की पुष्टि करते हैं।

6. **मतदान की व्यवस्थाः**

6.1 आयोग ने अपने निर्देश संख्या 51/8/अनु0/2023–ईएमएस, दिनांक 16–10–2023 के माध्यम से वितरण केंद्र पर ईवीएम के प्रेषण प्रक्रिया के लिए सुरक्षा उपायों की एक विस्तृत योजना बनाई है।

6.2 वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले, आयोग के निर्देश संख्या 1/8/7/2019–ईएमएस, दिनांक 30–09–2019 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार उम्मीदवारों के मौजूदा पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में मॉक पोल संचालित किया जाता है। मॉक पोल के दौरान यह सुनिश्चित किया जाता है कि कम से कम 50 मतो का उपयोग किया जाए, ताकि प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए मतदान हो सके।

Scanned with CamScanner

6.3 मॉक पोल के परिणामों की पुष्टि के बाद, वीवीपैट की पर्चियां निकाली जाती है और मॉक पोल के आंकड़ों को सी0यू0 से हटाया जाता है, तथा कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को सही तरीके से सील बंद किया जाता है।

6.4 मॉक पोल की पूरी प्रक्रिया पोलिंग एजेंटों के सामने की जाती है और उनके हस्ताक्षर लिए जाते हैं। उन्हें पेपर सील और ऐड्रस टैग पर हस्ताक्षर करने की अनुमति होती है। पीठासीन अधिकारी द्वारा मॉक पोल की तिथि और समय के साथ एक मॉक पोल प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

6.5 पीठासीन अधिकारी द्वारा मॉक पोल प्रमाण पत्र और पीठासीन अधिकारी की डायरी में वास्तविक मतदान शूरू होने की तिथि और समय दर्ज किए जाते हैं।

6.6 आयोग ने वास्तविक मतदान के दौरान के दौरान आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए चुनाव पदाधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए है।

6.7 कंट्रोल यूनिट में "कमजोर बैटरी" का संकेत मिलने पर, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट का पैक, जो भी सही हो आयोग के पत्र संख्या 51/8/7/2020–ईएमएस, दिनांक 25–08–2020 में समाविष्ट निर्देशों के अनुसार तुरंत बदल दिया जाता है।

6.8 पीठासीन अधिकारी की सहायता के लिए, बी0ई0एल0/ई0सी0आई0एल0 कंपनी के इंजीनियर उपलब्ध रहते हैं।

6.9 सैक्टर अधिकारी को आरक्षित मशीनों का आबंटन किया जाता है और जहां आवश्यकता होती है, मशीनें भेजी जाती हैं।

6.10 यदि किसी मशीन को बदला जाता है, तो मॉक पोल और सील बंद करने की पूरी प्रक्रिया नई मशीन पर भी दोहराई जाती है। पोलिंग एजेंटों को सीलों पर अपने हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाती है।

Scanned with CamScanner

6.11 मतदान की समाप्ति के बाद, पीठासीन अधिकारी द्वारा कंट्रोल यूनिट को क्लोज का बटन दबा कर मशीन को बंद किया जाता है। यह फार्म–17ग में ई0वी0एम0 में जमा किए गए कुल मतपत्रों की संख्या और पीठासीन अधिकारी की डायरी में मतदान की सामाप्ति की तिथि और समय को दर्ज करता है। फॉर्म–17ग में दर्ज विवरण मतदान की समाप्ति के समय मौजूदा पोलिंग एजेंटों के साथ साझा किए जाते हैं।

6.12 तब पीठासीन अधिकारी बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वी0वी0पैट को डिस्कनेक्ट कर देता है। पीठासीन अधिकारी वी0वी0पैट के पैक (बैटरी) को निकाल कर और पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में ई0वी0एम0 और वी0वी0पैट को सील बंद करता है।

6.13 पीठासीन अधिकारी कैरी बॉक्स के ऐड्रस टैग पर अपने हस्ताक्षर करते हैं, और उस पर पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर भी होते हैं।

6.14 मतयुक्त ई0वी0एम0 को सशस्त्र पुलिस बल की सुरक्षा में संग्रहण केंन्द्र (कलेक्शन सेंटर) तक ले जाया जाता है।

7. मतयुक्त ई.वी.एम. का भंडारणः

7.1 मतयुक्त ई.वी.एम. और आरक्षित ई0वी0एम0 के भंडारण के लिए, रिटर्निंग अधिकारी पहले से ही एक पृथक सुरक्षित स्थान (स्ट्रांग रूम) स्थापित करता है।मतयुक्त ई0वी0एम0 के लिए स्ट्रांग रूम में, संबंधित क्षेत्रों/रैक में प्रणाली के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को व्यवस्थित किया जाता है।

7.2 मतयुक्त ई0वी0एम0 मशीनें उचित सुरक्षा उपायों के तहत अभ्यर्थियों और उनके एजेंटों को पूर्व में सूचित करके आयोग के पत्र संख्या 464/स्ट्रांग रूम/2023–ईपीएस, दिनांक 18–07–2023 में समाविष्ट निर्देशों के अनुसार संरक्षित की जाती हैं।

Scanned with CamScanner

7.3 आयोग ने मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के संरक्षण के लिए सख्त सुरक्षा और संरक्षा उपाय निर्धारित किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

- स्ट्रांग रूम, जहां मतयुक्त ई0वी0एम0 रखी जाती हैं, में डबल लॉक सिस्टम होता है। लॉक–1 की चाबी रिटर्निंग अधिकारी के पास और लॉक–2 की चाबी सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पास होता है।
- स्ट्रांग रूम के लिए दोहरी सुरक्षा की व्यवस्था होती है, जिसमें सबसे ऊपर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की सुरक्षा होती है और बाहर राज्य पुलिस बल की सुरक्षा होती है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा संरक्षण के लिए सीसीटीवी कैमरे और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।
- प्रत्येक प्रवेश, सुरक्षा कर्मियों के ड्यूटी रोस्टर के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा उचित लॉग बुक बनाई जाती है। आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समय, गतिविधियों और आने जाने वाले व्यक्ति का नाम को लॉग बुक में दर्ज किया जाता है और प्रत्येक मामले में हस्ताक्षर लिए जाते हैं। इसमें प्रेक्षक, रिटर्निंग अधिकारी जिला चुनाव अधिकारी (डी0ई0ओ0) पुलिस अधीक्षक (एस0पी0) और उम्मीदवार/उनके एजेंटों की उपस्थिति होती है।
- किसी भी बाहरी व्यक्ति, जिसमें कोई मंत्री या अन्य राजनीतिक व्यक्ति शामिल हैं, को उस सुरक्षा परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें और वी0वी0पैट सुरक्षित रखी जाती हैं।
- उम्मीदवारों/उनके एजेंटों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम को खालेने और बंद करने के दौरान सुरक्षा के लिए विडियोग्राफी की जाती है।

Scanned with CamScanner

- उम्मीदवार आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को देखते रहने के लिए अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते है।
- मेरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 76—बादशाहपुर की मतयुक्त ई.वी.एम. मशीनो श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा, आई.ए.एस. (सामान्य प्रेक्षक) एवं निम्नलिखित दलों के उम्मीदवारों/प्रतिनिधियों की उपस्थिति मे दिनांक 05.10.2024 व 06.10.2024 की रात्री 12:30 बजे स्ट्रांग रूम मे सील की गई थी।

  – श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा, आई.ए.एस. (सामान्य प्रेक्षक)

  – श्री अंकित कुमार चौकसे, आई.ए.एस. (आर.ओ.)

  –श्री विकास मित्तल (प्रतिनिधि, इडियंन नेशनल कांग्रेस)

  इसकी जानकारी **Annexure-5** पर उपलब्ध है।

8. **फॉर्म—17क और अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा।**

8.1 फॉर्म—17क और दस्तावेजों की संवीक्षा के लिए नियत दिन पर जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी/प्रेक्षक और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों उनके निर्वाचन/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्वाचन प्रपत्र वज्र गृह विडियोग्रॉफी के अधीन खोला जाता है।

8.2 फॉर्म—17क और अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा पूरी होने के बाद उन्हें उनके संबंधित पैकेटों में फिर से पैक किया जाता है और लॉग बुक में प्रविष्टि करने तथा उस समय उपस्थित सभी उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों, प्रेक्षक और रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर लेने के बाद वज्र गृह को बंद और सील बंद कर दिया जाता है।

8.3 फॉर्म—17क और अन्य दस्तावेजों वाले वज्र गृह स्ट्रांग रूम को खोलने और बंद करने की संपूर्ण प्रक्रिया की विधिवत रूप से वीडियोग्राफी की जाती है।

Scanned with CamScanner

8.4 76–बादशाहपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में संवीक्षा की प्रक्रिया 06–10–2024 को प्रातः 11:00 बजे ऑडोटिरयम हॉल राजकीय कन्या महाविद्यालय सैक्टर–14 में श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा, आई0ए0एस0 प्रेक्षक और निम्नलिखित राजनितिक दलों के उम्मीदवारों–प्रतिनिधियों की उपस्थिति में की गई थी।

– श्री दिलीप कश्यप (प्रतिनिधि, आम आदमी पार्टी)
– श्री राकेश भारद्वाज (निर्दलीय)
– श्री विकास मित्तल (प्रतिनिधि, इंडियन नेशनल कांग्रेस)
– श्री राजीव यादव, (प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी)
– श्री संदीप नरूका (प्रतिनिधि, निर्दलीय)
– श्री रामभगत यादव (निर्दलीय)

इसकी जानकारी **Annexure-6** पर उपलब्ध है।

9. **मतों की गणना :**

9.1 मतगणना के दिन, मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए स्ट्रांग रूम को उम्मीदवारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, और आर0ओ0/ए0आर0ओ0 की उपस्थिति में विडियों रिकॉर्डिंग के अन्तर्गत खोला गया।
इसकी जानकारी **Annexure-7** पर उपलब्ध है।

9.2 मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को स्ट्रांग रूम से मतगणना हॉल तक सुरक्षित मार्ग से ले जाने की तैयारी की जाती है। ध्यान रखा जाता है कि दो स्ट्रांग रूमों की मतयुक्त ई0वी0एम0 मशीनों का मार्ग एक–दूसरे से अलग हो। इन मशीनों की मूवमेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है।

9.3 मतगणना हॉल में केवल कंट्रोल यूनिट (सीयू) ही लाई जाएगी।

Scanned with CamScanner

9.4 कंट्रोल यूनिट (सीयू) को चालू करने से पहले, उम्मीदवारों के मतगणना एजेंटों की उपस्थिति में सील की गहन जांच की जाती है।

9.5 कंट्रोल यूनिट में दर्ज मतों का मिलान फॉर्म–17सी में उल्लिखित मतों की कुल संख्या से किया जाता है, जिसे पहले ही मतदान केंद्रों पर उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों के साथ साझा किया गया था।

9.6 कंट्रोल यूनिट पर मतदान की शुरूआत और समाप्ति का समय सत्यापित किया जाता है और पोलिंग एजेंटों को दिखाया जाता है। मतगणना एजेंट फॉर्म–17सी पर हस्ताक्षर करके पुष्टि करते हैं कि कंट्रोल यूनिट वही है ज़िसका उपयोग उसी मतदान केंद्र में किया गया था।

9.7 आयोग ने पोलिंग स्थल द्वारा प्रक्रिया में कोई गलती होने या मतदान के समय और विवरण में असंगति के मामलों में उत्पन्न होने वाली विशिष्ट परिस्थितियों से निपटने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

9.8 प्रत्येक राउंड की मतगणना पूरी होने पर, प्रेक्षक उनके माईक्रो ऑब्र्जरवर द्वारा मतगणना के मिलान के बाद रिटर्निंग अधिकारी उस राउंड के परिणाम की घोषणा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में मतों की गणना के अंतिम राउंड के बाद, रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक विधानसथा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 5 रैंडमाइज रूप से चयनित मतदान केन्द्रों के वी0वी0पैट पर्चीयों का सत्यापन करते है।

9.9 इन 5 ई0वी0एम0 मशीनों का चयन आयोग द्वारा अपने निर्देश संख्या 51/8/वीवीपैट–अनु. /2019–ईएमपीएस, दिनांक 15–04–2019 के अनुसार आर0ओ0 द्वारा लॉटरी के माध्यम से किया जाता है। उम्मीदवारों को लॉटरी प्रक्रिया के बारे में पहले से लिखित सूचना दी जाती है।

Scanned with CamScanner

9.10 यदि ई0वी0एम0 में दर्ज मतों और वी0वी0पैट पेपर पर्चियों की गणना में कोई असंगति होती है, तो निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 56(घ) (4) (ख) के अनुसार वी0वी0पैट पेपर पर्चियों को मान्य माना जाएगा।

9.11 ई0वी0एम0 मतगणना और निर्देशित वी0वी0पैट पेपर पर्चियों की गणना की पूरी प्रक्रिया की विडियो रिकॉर्डिंग की जाती है।

9.12 मतगणना की शुरुआत से लेकर परिणामों की घोषणा तक आयोग के पर्यवेक्षक लगातार उपस्थित रहते हैं।

9.13 मेरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 76–बादशाहपुर में ऑडिटोरियम हॉल, राजकीय कन्या महाविद्यालय सैक्टर–14 गुरूग्राम में श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा, आई.ए.एस. (सामान्य प्रेक्षक), और उम्मीदवार/उनके मतगणना/चुनाव एजेंट की उपस्थिति मे मतगणना संपन्न हुई। वैसे मतदान केन्द्र जो अधिदेशात्मक वीवीपैट पर्ची गणना के लिए याछच्छिक रूप से चयनित किए गए थे, क्रम सं. 76,107,274,317,452 पर थे।

10. **बैटरी पैक के ऊपर 99 प्रतिशत चार्ज दर्शित डिस्पले होना :–** जहां तक कंट्रोल यूनिट डिस्पले में बैटरी की स्थिति का 99 प्रतिशत प्रदर्शित होने का प्रश्न है, इस संदर्भ में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। कि कंट्रोल यूनिट में बैटरी कमीशनिंग के दौरान उम्मीदवारों की उपस्थिति में डालकर सील बंद की जाती है तथा उनके/उनके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। हस्ताक्षर उम्मीदवार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किसी भी चरण पर चैक किए जा सकते हैं, इसलिए इससे छेड़छाड़ करना अंसभव है। ई0वी0एम0 के कंट्रोल यूनिट में एल्कालाइन बैटरी का उपयोग होता है। यह बैटरी कंट्रोल यूनिट के साथ 04 बैलेट यूनिट लगाने पर भी 2000 वोटों तक के लिए सक्षम होती है तथा यह उच्च गुणवत्ता की बैटरी होती है। नए पावर पैक की प्रारम्भिक वोल्टेज लगभग 7.4 से 8.0 वोल्ट

Scanned with CamScanner

तक होती है तथा इसकी पावर खपत बहुत कम होती है। वोल्टेज 7.4 से कम होता है, बैटरी की वास्तविक उपलब्धता क्षमता यानि 98 प्रतिशत से नीचे प्रदर्शित होने लगती है। बैटरी में 5.8 से अधिक वोल्ट रहने पर कंट्रोल यूनिट कार्यरत रहती है। डिस्पले में प्रदर्शित प्रतिशत, कंट्रोल यूनिट पर किए गए मॉक पोल, वास्तविक पोल तथा बैटरी की प्रारम्भिक वोल्टेज पर निर्भर होती है जो विभिन्न मतदान केन्द्रों की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में भिन्न—भिन्न हो सकती है।

11. **कंट्रोल यूनिट का सम्भावित प्रति स्थापना** :—इस विषय पर अवगत कराया जाता है कि EVM की रैंडामाईजेशन से मतदान पूर्ण होने तक सभी मशीनो की सूचना राजनैतिक दलो और प्रत्याषियो को समय—समय पर पत्र के माध्यम से दी गई थी और सभी को EVM की सूची भी उपलब्ध करा दी गई थी। इसके अतिरिक्त मतदान के समापन्न के बाद EVM जब स्ट्राग रूम में सामान्य प्रेक्षक महोदय की उपस्थिति में रखी गई थी उस समय भी प्रत्याषियो और उनके चुनाव अभकर्ताओ को पत्र मे माध्यम से बुलाया गया था तथा दिनांक 05.10.2024 व 06.10.2024 की रात्री 12:30 बजे स्ट्राग रूम सील किया गया तब श्री आपके चुनाव अभिकर्ता श्री विकास मित्तल उपस्थित थे और उन्होंने अपनी ब्रास सील भी लगाई थी जो मतगणना के दिन तक लगी हुई थी। इसके अतिरिक्त सील्ड तालो पर सामान्य प्रेक्षक द्वारा हस्ताक्षर किए गऐ। इसके उपरान्त स्ट्राग रूम फोर्स को निगरानी के लिए सौप दिया गया था। ये सभी मषीने CCTV कैमरे की निगरानी मे रखी गई थी जिसकी डिस्प्ले भी स्ट्राग रुम के बाहर लगाई हूई थी जिसको अभ्यार्थी व उसका चुनाव अभिकर्ता किसी भी समय देख सकते थे। अतः कन्ट्रोल यूनिट की प्रति स्थापना की सम्भावना बिलकुल भी नही थी। इसके अतिरिक्त राजकीय कन्या महाविधालय सै0—14 के प्रधानाचार्य के कमरे में लाइव डिस्प्ले भी लगाया गया था जिसके लिए चुनाव अभिकर्ताओ को पास भी दिये गये थे

Scanned with CamScanner

तािक वो वहा बैठकर स्ट्रोग रुम की गतिविधिया देख सके और डिस्प्ले को देखने हेतू चुनाव अभिकर्ता उपस्थित भी हुए।

12. बिना वजह मतगणना प्रकिया में देरी :–इस विशय पर अवगत कराया जाता है कि मतगणना प्रयवेक्षक की निगरानी में प्रातः 8:00 बजे डाक मतपत्र की मतगणना का कार्य आरम्भ कर दिया गया था और 7:40 पर EVM का स्ट्राग रूम प्रत्याषियों/चुनाव अभिकर्ताओ व मतगणना प्रेक्षक की उपस्थिति में खोला गया और मतगणना प्रातः 08.30 पर आरम्भ कर दी गई थी। श्री वर्धन यादव जी राउंड वाईज परिणाम देरी से ENCORE पर UPDATE की भी शिकायत की है इस विषय पर अवगत कराया जाता है कि काऊटिंग टेबल से परिणाम आने के उपरान्त मतगणना प्रेक्षक टीम द्वारा और रिटर्निंग अधिकारी टीम द्वारा परिणाम चैक करने उपरान्त ENCORE पर UPDATE किया गया। यदि मतगणना देरी से आरम्भ की जाती तो सबसे बडी विधानसभा होने के कारण मतगणना काफी लम्बी चलती परन्तु समय से आरम्भ करने के कारण ही हम मतगणना का कार्य सांय 3:30 बजे तक पूर्ण कर पाऐ।

13 मतगणना केन्द्र मे मोबाईल फोन से प्रोटोकॉल का उल्लघनः– इस विषय पर अवगत कराया जाता है कि मतगणना केन्द्र में मतगणना प्रेक्षक और रिटर्निंग अधिकारी के अतिरिक्त किसी के पास किसी प्रकार का कोई मोबाईल फोन इत्यादि नही था सभी के पैन, चाबी, फोन इत्यादि पुलिस विभाग द्वारा चैकिंग के दौरान बाहर ही जमा करा लिए गए थे। जिसकी सूचना पूर्व मे ही सभी कर्मचारियों और मतगणना ऐजेन्टो को दे दी गई थी।

14. वर्तमान विधान सभा चुनाव में निर्वाचन आयोग प्रत्येक दिशा निर्देशों को पालन किया गया व समय–समय पर आपको इन प्रकियाओं के बारे में सूचित भी किया गया।

Scanned with CamScanner

उम्मीदवार/प्रतिनिधि विभिन्न प्रकियाओं में शामिल रहे थे तथा चुनाव के विभिन्न सोपानों का उनके समक्ष कार्यान्वयन किया गया था, जिसका पुनः विवरण निम्न प्रकार है।

(i) एफएलसी का कार्यक्रम गुड़गांव के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 4337 दिनांक 30–07–2024 के जरिए आईएनसी सहित सभी मान्यता प्राप्त राजनितिक दलों के साथ लिखित रूप में यह अनुरोध करते हुए साझा किया गया था कि इस प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहने के लिए प्रतिनिधियों को भेजें।

(ii) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की एफएलसी गुड़गांव जिले में 01–08–2024 से 16–08–2024 तक ई0वी0एम0 वेयर हाउस, विकास सदन गुरुग्राम में आयोजित की गई थी और इस प्रक्रिया के दौरान 01–08–2024 से 16–08–2024 तक आईएनसी के प्रतिनिधि श्री मनीष गौड सहित अन्य राजनितिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

(iii) एफएलसी हॉल में डी0ई0ओ0 द्वारा बनाए रखे गए लॉग रजिस्टर में 01–08–2024 से 16–08–2024 तक आईएनसी प्रतिनिधि श्री मनीष गौड़ की उपस्थिति के बारे में विवरण है। यह प्रक्रिया सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों की संतुष्टि के साथ पूरी हुई और आईएनसी सहित किसी के भी द्वारा कोई आपत्ति मुद्दा नहीं उठाया गया था।

(iv) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के प्रथम रैंडमाइजेशन गुरुग्राम के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पत्र संख्या निर्वाचन –2024/4949 दिनांक 29–08–2024 के जरिए आईएनसी सहित सभी मान्यता प्राप्त राजनितिक दलों के साथ लिखित रूप में यह अनुरोध करते हुए साझा किया गया था कि इस प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहने के लिए प्रतिनिधियों को भेजें।

(v) प्रथम याच्छिकीकरण (रैंडमाइजेशन) प्रक्रिया को दौरान श्री मनीष गौड आईएनसी के प्रतिनिधि उपस्थित थे। यह प्रक्रिया सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों की संतुष्टि के

Scanned with CamScanner

साथ पूरी हुई और आई0एन0सी0 सहित किसी के भी द्वारा कोई आपत्ति मुद्दा नहीं उठाया गया था।

(vi) प्रथम याच्छिकीकरण (रैंडमाइजेशन) के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें श्री मनीष गौड की उपस्थिति में (आईएनसी के प्रतिनिधि) 03—09—2024 को वज्र गृह में स्टोर की (स्ट्रांग रूम) गई थी।

(vii) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के द्वितीय याच्छिकीकरण (रैंडमाइजैशन) का कार्यक्रम 76—बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए आर0ओ0 होने के नाते मेरे द्वारा आईएनसी के उम्मीदवार श्री वर्धन यादव सहित चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के साथ लिखित रूप में यह अनुरोध करते हुए साझा किया गया था कि द्वितीय याच्छिकीकरण (रैंडमाइजेशन) की प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहें।

(viii) पुनः मेरे निर्वाचन क्षेत्र अर्थात 76—बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के संबंध में वोटिंग मशीनों को चालू करने का कार्य (कमीशनिंग) 27—09—2024 से 01—10—2024 को ऑडोटिरयम हॉल, राजकीय कन्या महाविद्यालय, सैक्टर—14 गुरुग्राम पर किया गया था। मेरे द्वारा इसका कार्यक्रम पत्र के जरिए आईएनसी सहित सभी उम्मीदवारों के साथ लिखित रूप में यह अनुरोध करते हुए साझा किया गया था कि कार्यक्रम का निरीक्षण करें एवं मॉक पोल में भाग लें।

(ix) कमीशनिंग प्रक्रिया के दौरान, आप/आपके प्रतिनिधि श्री विकास मित्तल उपस्थित थे। कमीशनिंग के समय आप/आपके प्रतिनिधि द्वारा कोई मुद्दा नही उठाया गया था। यह प्रक्रिया सभी उम्मीदवारों की संतुष्टि के साथ मेरी उपस्थिति में पूरी हुई कमीशनिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मेरे हस्ताक्षर और आपके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के अंतर्गत सील बंद की गई थी।

Scanned with CamScanner

(x) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पुनः आपके प्रतिनिधि श्री विकास मित्तल की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम में स्टोर की गई थी।

(xi) इसके अतिरिक्त, मेरे पत्र के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और पोलिंग पार्टियों के प्रेषण के दिन स्ट्रांग रूम खोलने के कार्यक्रम के बारे में आपको लिखित रूप से (डिस्पर्सल) सूचित किया गया था।

(xii) बैलट यूनिटों व सी0यू0 के सभी ऐड्रस टैग सील के साथ अक्षत थे और उस समय आपके प्रतिनिधि द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की सुरक्षा और सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त नही गई थी। इस प्रक्रिया के दौरान सामान्य प्रेक्षक श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा, आई0ए0एस0 भी उपस्थित थे।

(xiii) मतदान के दिन वास्तविक मतदान से पहले, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 76—बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों पर आपके पोलिंग एजेन्टों की उपस्थिति में मॉक पोल आयोजित किया गया था। मॉक पोल पूरा होने के प्रमाण पत्र पर आपके पोलिंग एजेंटों द्वारा हस्ताक्षर भी किए गए थे और मॉक पोल प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कार्यप्रणाली के बारे में आपके पोलिंग एजेंटों द्वारा कोई मुद्दा नही उठाया गया था।

(xiv) वास्तविक मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न की गई तथा मतदान प्रक्रिया के दौरान आपके पोलिंग एजेंटों द्वारा किसी भी मतदान केन्द्र पर आपत्ति दर्ज नही की गई।

(xv) वास्तविक मतदान पूरा होने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को आपके पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में संबंधित पीठासीन अधिकारियों द्वारा सील बंद कर दिया गया था और उस समय मतदान प्रक्रिया और ई0वी0एम0 की कार्यप्रणाली पर आपके प्रतिनिधियों से/ मुद्दा प्राप्त नहीं हुआ था।

Scanned with CamScanner

(xvi) मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग पार्टियों द्वारा निर्धारित स्थान पर जमा कर दी गई थीं। और उसके बारे में आपको काफी समय रहते बता दिया गया था। स्ट्रांग रूम के लॉग रजिस्टर के अनुसार, मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें आपके प्रतिनिधि श्री विकास मित्तल और सामान्य प्रेक्षक श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा, आई0ए0एस0 की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम में 05–10–2024 व 06–10–2024 की रात्रि 12:30 पर स्टोर की गई थीं। उस समय भी आपके प्रतिनिधि की ओर से कोई शिकायत या मुद्दा नही उठाया गया था।

(xvii) दिनांक 05–10–2024 व 06–10–2024 की रात्रि 12:30 को स्ट्रांग रूम के बंद होने के बाद से दिनांक 08–10–2024 को मतगणना की तिथि तक मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें स्ट्रांग रूम में रखी गई थी, जो केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस की सुरक्षा में था। अधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही के लिए सख्त प्रोटोकॉल का पालन किया गया था और लॉग रजिस्टर की प्रविष्टियों में आपके प्रतिनिधियों के दौरे को दर्शाया गया है। जिन्होंने स्ट्रांग रूम में आवाजाही पर नियमित रूप से नज़र बनाए रखी न तो आपने और न ही आपके प्रतिनिधि ने मेरे या किसी ए0आर0ओ0 के पास कोई शिकायत उठाई।

(xviii) मतों की गणना के लिए नियत दिन मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के स्ट्रांग रूम को 08–10–2024 को खोला गया था। स्ट्रांग रूम खोलने के दौरान आप स्वयं और सामान्य प्रेक्षक श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा, आई0ए0एस0 भी मौजूद थे। लॉग रजिस्टर पर हस्ताक्षर लिए गए थे। पूरी प्रक्रिया की विडियोग्राफी भी की गई। उस समय भी, आपने मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और संरक्षा पर कोई चिंता व्यक्त नहीं की और न ही कोई मुद्दा उठाया।

Scanned with CamScanner

(xix) इसके अलावा, आपके द्वारा नामित काउंटिंग एजेंट मतगणना की पूरी प्रक्रिया के पूरी होने तक मतगणना हॉल में मौजूद रहे थे। "मतगणना उपरांत संवीक्षा" भी उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों और सामान्य प्रेक्षक श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा, आई0ए0एस0 की उपस्थिति में की गई। उस दौरान भी आपके मतगणना अभिकर्ताओं द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई।

(xx) उपर्युक्त अवसरों के अतिरिक्त भी समय–समय पर मैंने–इंडियन नैशनल कांग्रेस सहित समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की हैं। तथा उनके साथ उपयुक्त सूचनाएं साझा की है।

(xxi) इसके आलावा, प्रथम स्तरीय जांच के समय, सभी याच्छिकीकृत (रैंडमाइजेशन) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की सूची डीईओ द्वार राष्ट्रीय और राज्यीस्तर की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई थी। प्रत्येक चरण में स्ट्रांग रूम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की आवाजाही के समय आप या आपके प्रतिनिधि मौजूद रहे हैं।

(xxii) इसके अतिरिक्त, सिविल संख्या 434/2023 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 26–04–2024 के आदेश के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग ने पत्र संख्या 51/8/अनुदेश/2024–ईएमएस, दिनांक 01–06–2024 के माध्यम से अपने निर्देशों के साथ एक प्रशासनिक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित की है। इसमें उन यूनिटस को बारह निकालने की प्रक्रिया प्रोटोकॉल, और ई0वी0एम0 यूनिटस (बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और वी0वी0पैट) की बंद मेमोरी/माइक्रो कंट्रोलर की मतगणना के बाद जांच और सत्यापन, रिकार्डिंग प्रक्रिया, ऑडिट के लिए संरक्षात्मक उपाय, और प्रोटोकॉल शामिल हैं। इन निर्देशों के पैराग्राफ 3 (सी) में उल्लिखित समय सीमा के अनुसार, संबंधित उम्मीदवार

Scanned with CamScanner

परिणाम की घोषणा की तिथि से 7 (सात) दिनों के भीतर सीईओ को लिखित अनुरोध कर सकते है। मेरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 76–बादशाहपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से के चुनाव लड़ने वाले किसी उम्मीदवार से मुझे ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि चुनाव प्रक्रिया और विभिन्न चरणों में उम्मीदवारों/उनके एजेंट सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। आयोग के सभी दिशा–निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया गया और समय–समय पर आपको इन प्रक्रियाओं की जानकारी भी दी गई। आपके उम्मीदवारी/प्रतिनिधि विभिन्न प्रक्रियाओं में भाग ले रहे थे। और चुनाव के विभिन्न चरणों की कार्यवाही उनके समक्ष की गई थी। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ई0वी0एम0) के कड़े प्रोटोकॉल के तहत और हर समय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) तथा पुलिस की कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। अन्य राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों/प्रतिनितिधियों के साथ आपके अधिकृत एजेंट भी ई0वी0एम0 के संचालन के प्रत्येक चरण में शामिल थे– बैटरी सैक्शन की सीलिंग से लेकर उन्हें स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखने तक, मतदान के दिन उन्हें बाहर लाने से लेकर पूरे मतदान के दौरान, मतदान समाप्त होने के बाद सीलिंग और फिर से मतदान केंद्रों से स्ट्रांग रूम तक लाने और मतगणना के दिन तक जब ई0वी0एम0 पूरी सुरक्षा और सीलिंग के साथ बाहर लाई गई।

यह पुनः सूचित किया जाता है कि – प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी), प्रथम चरण और द्वितीय चरण के याच्छिककरण (रैंडमाइजेशन), चुनाव से पांच –सात दिन पहले ई0वी0एम0 की कमीशनिंग, बैटरी लगाने के बाद उसके एड्रैस टैगिंग में उम्मीदवारों के एजेंटों के हस्ताक्षर लेना तत्पशाचत स्ट्रांग रूम में उनका भंडारण, वितरण केंद्र से पोलिंग पार्टियों को कमीशन की गई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें सौंपना, पोलिंग पार्टियों का

Scanned with CamScanner

मतदान केन्द्रों तक पहुँचना, मतदान से पहले मॉक पोल का संचालन, पूरे दिन मतदान प्रक्रिया का संचालन, मतदान के बाद क्लॉज बटन दबाना, मतदान के दौरान हुई वोटिंग की जानकारी पोलिंग एजेंट को देना, मतदान के बाद ई0वी0एम0 को सील बंद करना और उस पर पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर लेना, अंततः ई0वी0एम0 को स्ट्रांग रूम तक ले जाकर वहां सुरक्षित जमा करना और स्ट्रांग रूम को सील बंद करना मतगणना के दिन स्ट्रांग रूम को खोलना, ई0वी0एम0 को काउंटिंग हॉल में ले जाना, मतगणना से पहले ई0वी0एम0 की सील की जांच करना पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर सत्यापित करना, मतगणना के दौरान प्रत्येक चरण में फॉर्म–17ग के अनुसार ई0वी0एम0 में पड़ें वोटों का मिलान करना और परिणामों की घोषण– इन सभी प्रक्रियाओं में आप या आपके द्वारा नामित प्रतिनिधि लगातार उपस्थित रहे हैं।

विशेषतः चुनाव के विभिन्न चरणो में आप अथवा आपके प्रतिनिधि केवल उपस्थित ही नही रहे परन्तु उनके द्वारा अपना–अपना बहुमूल्य योगदान भी बिना किसी शिकायत के दिया गया। मतदान के दिन मॉक पोल के दौरान उनके द्वारा किये गए मॉक पोल एवं उसका परिणाम तथा उनके द्वारा बिना किसी आक्षेप के हस्ताक्षरित मॉक पोल सर्टिफिकेट चुनाव की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता को दर्शाता है। मतदान के दौरान पूरे दिन उनकी निरन्तर उपलब्धता तथा बिना शिकायत के मतदान पूर्ण होना, फार्म–17ग में आपके पोलिंग ऐंजेंट के हस्ताक्षर चुनाव की पारदर्शिता, समग्रता एवं विश्वसनियता को परिलक्षित करता है। यह सभी साक्ष्य सक्षम प्राधिकारी के पास संरक्षित है। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त प्रक्रिया सभी प्रतिनिधियों के समक्ष उनकी पूर्ण संतुष्टि के साथ सम्पन्न हुई। चुनाव की प्रक्रिया आयोग के द्वारा जारी दिशा निर्देशो के तहत समावेशी एवं निष्पक्ष रूप से संचालित की गई। अतः आपके द्वारा लगाए गए आरोप मनगढंत, तथ्यविहीन तथा चुनाव परिणाम के बाद की सोच से प्रेरित प्रतीत होते है।

इसके अतिरिक्त, इन सभी प्रक्रियाओं की केंद्रीय प्रेक्षक और सेक्टर ऑफिसरों द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग की गई है, और ये सभी प्रक्रियाएँ वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज, लॉग बुक और रजिस्टर में प्रविष्टियों के तहत रिकार्ड की गई हैं। इसलिए, इलेक्ट्रॉनिक

Scanned with CamScanner

Returning Officer 76-Badshahpur Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Badshahpur.

रिटर्निंग अधिकारी 76–बादशाहपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), बादशाहपुर.

वोटिंग मशीनों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, हेर–फेर या जोड़–तोड़ का कोई प्रश्न नहीं उठता।

आपके द्वारा लगाए गए आरोप निराधार, तथ्यहीन और बाद में उत्पन्न विचार से प्रेरित प्रतीत होते हैं, इसके बावजूद, यदि आप मेरे द्वारा दिए गए इस प्रत्युत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम उच्च न्यायालय के समक्ष चुनाव याचिका द्वारा चुनाव को चुनौती देने का विकल्प आपके पास उपलब्ध है।

रिटर्निंग अधिकारी
76 बादशाहपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र
एवं उपमण्डल अधिकारी(ना0), बादशाहपुर

पृ0क्र0: निर्वाचन–2024/1843-44 दिनांक: 23-10-2024

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. उपायुक्त एवं जिला निवार्चन अधिकारी गुरुग्राम।

रिटर्निंग अधिकारी
76 बादशाहपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र
एवं उपमण्डल अधिकारी(ना0),बादशाहपुर

Scanned with CamScanner

Returning Officer 76-Badshahpur Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Badshahpur.

रिटर्निंग अधिकारी 76–बादशाहपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), बादशाहपुर.

Annexure-1

DISTRICT ELECTION OFFICE, GURUGRAM

जिला निर्वाचन कार्यालय, गुरुग्राम।

पत्र क्रमांक निर्वाचन–2024/4337 दिनांक 30.07.2024

सेवा में

जिला गुरूग्राम के राष्ट्रीय व मान्यता प्राप्त
राजनैतिक दलो के सचिव/प्रधान।

विषयः– हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 ई0वी0एम0, वी0वी0पैटस की प्रथम स्तरीय जांच हेतु ई0वी0एम0, वी0वी0पैटस के स्थानांतरण की प्रकिया में भाग लेने बारे।

उपरोक्त विषय पर आपको सूचित किया जाता है कि आगामी हरियाणा विधान सभा आम चुनाव 2024 हेतु इस जिला की ई0वी0एम0 मशीनों की फस्ट लेवल चैकिंग दिनांक 01–08–2024 से ई0वी0एम0 वेयर हाउस, प्रथम तल, विकास सदन, गुरूग्राम में आरम्भ हो रही है, जोकि लगभग 20 दिन चलेगी। उक्त कार्य दिनांक 01.08.2024 को प्रातः 09:00 बजे से आरम्भ होकर कार्य के पूर्ण होने तक प्रतिदिन 09:00 बजे से सांय 07:00 बजे तक चलेगा जिसके लिए ई0वी0एम0 व वी0वी0पैटस मशीनों को राजकीय कन्या महाविद्यालय, सैक्टर–14, गुरूग्राम से वेयर हाउस, प्रथम तल, विकास सदन, गुरूग्राम में लाई जानी है।

अतः आपको उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार आपको निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त कार्य के लिए कार्य के आरम्भ से समाप्ति तक, पहचान पत्र के साथ स्वयं या अपने पैरो प्रतिनिधि को भेजकर एफ.एल.सी. से जुडी गतिविधि में भाग लेना सुनिश्चित करें।

कृते उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
गुरूग्राम।

Scanned with CamScanner

Returning Officer 76-Badshahpur Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Badshahpur.

रिटर्निंग अधिकारी 76–बादशाहपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना०), बादशाहपुर.

ANNEXURE

(Attendance Register for National and State Recognised Political Parties-FLC Hall)

Name of State/UT: Haryana

Name of District: Gurugram

Address of FLC hall: Vikash Sadan Gurugram

Date: 01/08/24

S. No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks, if any.
1.	CPI(M)				
	AAM ADAMI PARTY	Shyamlal	82566816 7355	[signature]	
2.	Congress Party	Manish Gaur	880020 4422	[signature]	
3.	JJP Jannayak Janta Party	RishiRaj Rana	9811724796	[signature]	
4	B.J.P.	YadRam Joya	9355147784	[signature]	

Note: If the representative of a party is absent the proof of due service of notice to the party should be pasted in the register.

[signature] 01/8/24

(Name, Designation and Signature of officer nominated by District Election Officer)

Scanned with CamScanner

Returning Officer 76-Badshahpur Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Badshahpur.

रिटर्निंग अधिकारी 76–बादशाहपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), बादशाहपुर.

ANNEXURE-3

(Attendance register for National and State Recognised Political Party-FLC Hall)

Name of State/UT: Haryana

Name of District: Gurgaon

Address of FLC Hall: Vikas Sadan

Dated 16-8-24

Sr no	Name of National State Party	Name of Representative of Political Party with affiliation	Identity documents No. with date	Signature of representative	Remarks, if any
1	I.N.C	Manish GAUR.		(signature)	
2					
3					
4					
5					
6					

Note: If the Representative of a party is absent the proof of due service of notice to the party should be pasted in the registered.

(Name, Designation and signature of officer nominated by District Election officer)

Scanned with CamScanner

Returning Officer 76-Badshahpur Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Badshahpur.

रिटर्निंग अधिकारी 76–बादशाहपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), बादशाहपुर.

Annexure-2

DISTRICT ELECTION OFFICE, GURUGRAM
जिला निर्वाचन कार्यालय,गुरुग्राम।

श्रम भवन की पाचवी मंजिल फोन न0 0124 2224047, ई मेल [illegible]

क्रमांक निर्वाचन 2024/ 4949 दिनांक 29.08.2024

सेवा में

जिला गुरुग्राम के सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रधान/सचिव

विषय– 1st Randomization of EVM/VVPAT-reg.

उपरोक्त विषय पर आपको सूचित किया जाता है हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के [illegible] में इस जिला से सम्बन्धित 75 पटौदी(अ0जा0), 76 बादशाहपुर, 77 गुड़गाँव एवं 78 सोहना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रयोग होने वाली कन्ट्रोल युनिट, बैलेट युनिट तथा वी0वी0पैट(ई0वी0एम0 मशीनों) 1st Randomization दिनांक 02.09.2024 बाद दोपहर 03.00 बजे ई0एम0एस0 ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से मिटिंग हॉल उपायुक्त कार्यालय लघु सचिवालय प्रथम तल गुरुग्राम में किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं या अपने प्रतिनिधि को दिनांक 02.09.2024 को बाद दोपहर 03.00 बजे उपायुक्त कार्यालय मिटिंग हॉल, प्रथम तल, लघु सचिवालय गुरुग्राम में उपस्थित होना सुनिश्चित करें ताकि आपके सम्मुख ई0वी0एम0 व वी0वी0पैट्स का प्रथम 1st Randomization किया जा सके।

(Signature)
कृते उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
गुरुग्राम

पृ0 क्र0 निर्वाचन 2024/ 4950-52 दिनांक 29.08.2024

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को भेजकर अनुरोध है कि ई0वी0एम0 व वी0वी0पैट्स के प्रथम Randomization के समय आप स्वयं उक्त तिथि को नियत समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

1. जिला गुरुग्राम के चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी।
2. श्री [illegible], एच.सी.एस., नोडल ऑफिसर ई0वी0एम0 एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद गुरुग्राम।
3. डी.आई.ओ. एन.आई.सी. गुरुग्राम।

(Signature)
कृते उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
गुरुग्राम

Copy to:
1. PA to DC Gurugram
2. Steno to CTM Gurugram
3. All Election Kanungo.
4. Junior Programmer, Election Office

[illegible] Election 2019 Office: Labour Court 5th Floor, Gurgaon (HR) Tel: 0124-2224047 E-mail: [illegible]

Scanned with CamScanner

Returning Officer 76-Badshahpur Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Badshahpur.

रिटर्निंग अधिकारी 76–बादशाहपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), बादशाहपुर.

1st Randamization of EVMs/VVPATs for General Election Haryana Vidhan Sabha

Meeting of Political Parties

Dated On 02-09-2024 Time: 3:00 PM

Sr. No.	Name /Designation	Party Name	Mobile No	Email Id	Signature
1	Manish Gaur	I.N.C	88[illegible]204422		[illegible]
2	Net Ram	BSP	8130390888		[illegible]
3	VINOD KUMAR BHARDWAJ GGM SEN Dr. Secty	CPIM	9891140280	vkbhardwajadv@gmail.com	[illegible]
4	Shyam Lal (B. President)	AAP.	9810678922		[illegible]
5	[illegible]	JJP	9810219011		[illegible]
6	[illegible]	BJP.	9350514784		[illegible]
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Scanned with CamScanner

Returning Officer 76-Badshahpur Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Badshahpur.

रिटर्निंग अधिकारी 76–बादशाहपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), बादशाहपुर.

Annexure-3

DISTRICT ELECTION OFFICE, GURUGRAM

जिला निर्वाचन कार्यालय,गुरुग्राम।

श्रम भवन की पांचवी मंजिल फोन न0 0124–2224047, ई-मेल

DESH KA GARV

पत्र क्रमांक निर्वाचन 2024/6359 दिनांक 18/09/2024

सेवा में

जिला में सभी निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी।

विषय– **Haryana Vidhan Sabha General Election 2024 - 2nd Randomization of EVM/VVPAT-reg**

उपरोक्त विषय पर आपको सूचित किया जाता है हरियाणा विधान सभा आम चुनाव 2024 के अन्तर्गत सभी चार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र नामतः 75-पटौदी(अजा), 76 बादशाहपुर, 77 गुड़गांव तथा 78 सोहना में प्रयोग होने वाली ई0वी0एम0 व वी0वी0पैट्स की 2nd Randomization दिनांक 24.09.2024 को बाद दोपहर 1:00 बजे [illegible] ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से आब्जर्वर महोदय उपस्थिति में किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने से सम्बन्धित सभी उम्मीदवारों को स्वयं उपस्थित होने या उनके सम्बन्धित प्रतिनिधि को दिनांक 24.09.2024 को दोपहर 1-00 बजे उपायुक्त कार्यालय मिटिंग हॉल, प्रथम तल, लघु सचिवालय गुरुग्राम में उपस्थित होने के लिए लिखित रूप में देने का कष्ट करें। आप भी उक्त ई0वी0एम0 व वी0वी0पैट्स के 2nd Randomization के समय उपस्थित रहें।

कृते उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
गुरुग्राम।

पृ0 क्र0 निर्वाचन 2024/6360-62 दिनांक 18/09/2024

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ भेजकर अनुरोध है कि वे कृपया उक्त 2nd Randomization के समय उपस्थित होने का कष्ट करें।

1. सामान्य ऑब्जर्वर के लाईजन अधिकारी को भेजकर अनुरोध है कि ऑब्जर्वर महोदय को उपस्थित रहने के लिए सूचित करने का कष्ट करें।
2. जिला में सभी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के राजनीतिक दलों के प्रधानों एवं सचिवों को भेजकर अनुरोध है कि वे भी ई0वी0एम0 व वी0वी0पैट्स के 2nd Randomization के समय उपस्थित रहें। कृपया उक्त वर्णित
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (डी0आई0ओ0), गुरुग्राम।

कृते उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
गुरुग्राम।

Copy to
1. Sh. Jagolwas, HCS, CEO Zila Parishad, Gurugram
2. PA to DC Gurugram
3. Steno to CTM Gurugram

Scanned with CamScanner

Returning Officer 76-Badshahpur Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Badshahpur.

रिटर्निंग अधिकारी 76–बादशाहपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), बादशाहपुर.

2nd Randomization Political Party
Attendence Sheet Dated on (24-09-2024) 01:00 PM

Sr no	Name	Designation	Party Name	Mobile no	Signature	
1.	Nayar Mohammad	Election Agent	Loktantra Suraksha Party	9671946686	[illegible]	79 SOHNA
2.	Gautam Singh	Election Agent	Indian National Congress	9911267416	Gautam Singh	78
3.	JAGAT Khatana	Election Agent	BJP	9990770795	[illegible]	78-SOHNA
4.	Manish SOLANKI	Election Agent	BJP	9891720464	[illegible]	78-SOHNA
5.	[illegible]	Election Agent	AAP	9810678922	[illegible]	77 Gurugram
6.	Adv. Jal Singh Tanwar	Zila Prabhari	BSP	9891283289	[illegible]	77 Gurugram
7.	Begray	Election Agent	ASP	9811884370	Begray	78-SOHNA
8.	Vijender Singh	Election Agent	Independent	9315315566	[illegible]	78-SOHNA
9.	Naresh Kumar Batra	Candi.	INDIP.	8920956119	[illegible]	77-GURGRAM
10.						
11.						
12.						

2nd Randomization Officer's
Attendence Sheet Dated on (24-09-2024) 01:00 PM

Sr no	Name	Designation	Mobile no	Email id	Signature
1.	JAGNIWAS HCS	CEO ZP	9416291877		[illegible]
2.	Shikha	ARO	9828487650		[illegible]
3.	Ankit K. Chouksey	RO(76)	9587756666		[illegible]
4.	Dinesh	RO (Pataudi)	8901289622		[illegible]
5.	Hosyar Singh	RO-78-Sohna AC	8307456671		
6					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					

Scanned with CamScanner

Returning Officer 76-Badshahpur Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Badshahpur.

रिटर्निंग अधिकारी 76–बादशाहपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), बादशाहपुर.

Annexure-4

ANNEXURE 22

Mock Poll Certification during Preparation of EVMs

Date 21/10/2024

Name of State : Haryana

Name of District : Gurugram

Name of Assembly Constituency : 76- Badshahpur

Name of Assembly Segment(in case of PC) :

Address of EVM-VVPAT Preparation hall : Govt Girls College Sector-14 Auditorium Hall Gurugram

It is certified that during commissioning of EVMs and VVPATs, mock poll of 1000 votes have been cast on 5% randomly selected EVMs, as well as VVPATs. The eletronic result tallied with paper count picked up by me. There are no discrepancies between the votes polled during the mock poll.

Sl no	Name of Candidate	Name of Representative of Candidate with Party Affiliation, If any	Identity Document No with date	Signature of Candidate/his representative		Remarks, if any
1	NAREER SINGH	Rajesh Yadav	DL HR2620070452101	[signature]		
2	Sandeep Khurana	[illegible]	AADHAR [illegible]	[signature]		
3	VARDHAN YADAV	Vikas Mittal	324872356851	[signature]		
			date 1/10/24			

Rec. 1/10/2024

A copy is forwarded to the Deputy Commissioner [illegible]

Returning Officer

76-Badshahpur Assembly Constituency

Scanned with CamScanner

Returning Officer 76-Badshahpur Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Badshahpur.

रिटर्निंग अधिकारी 76–बादशाहपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), बादशाहपुर.

Annexure-5

On 5-10-2024 **Handing Over Taken Over of Strong Room**

EVM/VVPAT/ Statutory Cover Strong Room Bio Tech, Computer Block Room No 80 to 83 and HOD Room of 76- Badshahpur assembly Constituency were sealed after the polled EVM of Haryana Vidhan Sabha General Election-2024 were placed these strong room in the presence of Worthy General Observer for HVGE-2024/ Candidates /Election Agent for 76-Badshahpur Assembly and SDO(c)- cum Returning Officer 76-Badshahpur Assembly Constituency the all strong rooms are handed over to Sh. Rispal Singh (OSI) (CISF) of CISE/BSP

Sr. No.	Officer's Name	Designation	Signature	Remarks
1	Sh. Narendra Kumar Dugga, IAS	G.O.	[signature]	
2.	Sh. Ankit Kumar Choksey, IAS	R.O	[signature]	
3.	Sh. Charan Singh Kanungo	Kanungo	[signature]	
4.	Sh. Gulab Singh ARO	ARO	[signature]	
5.	Sh. Paurash Pahal.	NT	[signature]	
6	Smt. Aruna.	NT	[signature]	
7	Kapil Ahlawat	ACP Sadar	[signature]	
8	VIKAS Mittal	E-Agent Vardhan yadav	[signature]	
	[signature] handed over		Taken over [signature] 5/10	

Scanned with CamScanner

Returning Officer 76-Badshahpur Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Badshahpur.

रिटर्निंग अधिकारी 76–बादशाहपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), बादशाहपुर.

Annexure-6

Returning Officer 76-Badshahpur Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Badshahpur.

रिटर्निंग अधिकारी 76–बादशाहपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), बादशाहपुर.

ई–मेल आई0डी0 sdm-badshahpur.grg@hry.gov.in

आज दिनांक 06–10–2024 को सामान्य प्रयवेक्षक महोदय की अध्यक्षता में 76–बादशाहपुर चुनाव क्षेत्र की Scrutiny के समय उपस्थित अभ्यार्थियों एवं उनके चुनाव एजेंटों की उपस्थिति बारे।

क्रम संख्या	उपस्थित अभ्यार्थि / चुनाव एजेंट का नाम	हस्ताक्षर
(1)	AAP / Deep Kashyap Dinesh Singh	[signature]
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
4	INC / VIKAS Mittal	[signature]
5	Rajeev Yadav BSP	[signature]
6	Mukesh Kumar	[signature]
7	Sandeep Nanwar	[signature]
8.	Rambhagat Yadav	[signature] 06.10.2024

Scanned with CamScanner

Returning Officer 76-Badshahpur Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Badshahpur.

रिटर्निंग अधिकारी 76–बादशाहपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), बादशाहपुर.

Annexure-7

DATE ______
PAGE ______

हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2024 में 76-बादशाहपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में मतदान होने के बाद जो EVM/VVPAT दिनांक 05-10-2024 को स्ट्रांग रूम में जमा किया था उन सभी स्ट्रांग रूमों को जो कि रूम नं० 80 से 83 मे है को आज दिनांक 08-10-2024 को प्रात 7:40 बजे निम्नलिखित अधिकारियों/उम्मीदवारों/चुनाव अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मतगणना हेतु खोला गया।

SDM(C)

(BJP)

(General Observer)

(RO-76)